

कार्यालय प्रधानाचार्यः जी० एस० वी० एम० मेडिकल कालेज, कानपुर।

दिनांक-30/08/2023

पत्र संख्या-

/एन०डी०/2023

:- सूचना :-

राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में विभिन्न विभागों/ट्रामा सेंटर के अन्तर्गत संविदा के आधार पर आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर सेवामात्र हेतु विज्ञापित।

रोगी के उपचार/एन०एम०सी० (एम०सी०आई०) मानकों की पूर्ति हेतु इस चिकित्सा महाविद्यालय/सुपर स्पेशियलिटी इन्स्टीट्यूट (पी०एम०एस०एस०वाई०) रिक्त आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु इन पदों पर चयन वाक-इन-इन्टरव्यू (walk-in-interview) पद्धति से शासन द्वारा नियुक्त चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह साक्षात्कार हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ विज्ञापित जारी होने के पश्चात ग्राह के प्रत्येक शुक्रवार को परीक्षा हॉल-3, मेडिकल कालेज, कानपुर में प्रातः 10:00 बजे से सायं-04:00 बजे के मध्य उपस्थित हो। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वह साक्षात्कार के दिवस अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों तथा एन०एम०सी० की गाइड लाइन के अनुसार सहायक आचार्य हेतु सीनियर रेजिडेन्सी एवं आचार्य/सह आचार्य हेतु एम०ई०टी०/बी०सी०बी०आर० प्रमाण पत्र की (स्व प्रमाणित) छायाप्रतियों का एक सेट बायोडाटा सहित भी लायेंगे। चिकित्सा शिक्षकों के पदों की रिक्तियाँ एवं नियुक्ति की शर्तें महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के वेबसाइट <http://updme.in> एवं जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर के वेबसाइट www.gsvmmmedicalcollege.com पर उपलब्ध है। पदों की संख्या घट बढ़ सकती है।

क्र. सं.	विशिष्टता का नाम	संविदा चिकित्सा शिक्षकों की रिक्त पदों की संख्या									
		आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर कमाक (53)	सह आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर कमाक	सहायक आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर कमाक	
1	आर्थोपेडिक्स	1	एस०सी०	(53)	0	0	0	1	एस०सी०	(83)	
2	एन्डोक्रायनोलॉजी (पीएमएसएसवाई)	1	अनारक्षित	(38)	1	ओ०बी०सी०	(37)	0	0	0	
3	एनाटमी	0	0	0	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(39)	
								1	ई०डब्ल्यू०एस०	(40)	
								1	ओ०बी०सी०	(51)	
								1	अनारक्षित	(76)	
								1	अनारक्षित	(86)	
								1	ओ०बी०सी०	(87)	
4	एनेस्थीसिया	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(9)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(10)	
					1	अनारक्षित	(38)	1	एस०सी०	(11)	
					1	अनारक्षित	(68)	1	अनारक्षित	(14)	
					1	अनारक्षित		1	एस०सी०	(15)	
								1	ई०डब्ल्यू०एस०	(60)	
								1	ओ०बी०सी०	(61)	
5	एनेस्थीसियोलॉजी,आई.सी.यू. (पीएमएसएसवाई)	1	ओ०बी०सी०	(39)	1	ओ०बी०सी०	(39)	1	अनारक्षित	(18)	
6	कम्यू मेडिसिन	0	0	0	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(19)	
								1	ओ०बी०सी०	(91)	
								1	अनारक्षित	(62)	
7	किटिकल केयर, आई.सी.यू. (पीएमएसएसवाई)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(40)	0	0	0	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(20)	
8	जनरल मेडिसिन	0	0	0	0	0	0	1	एस०टी०	(47)	
								1	अनारक्षित	(52)	
								1	एस०सी०	(53)	
								1	अनारक्षित	(54)	
								1	ओ०बी०सी०	(55)	
								1	एस०सी०	(63)	
9	जनरल सर्जरी	0	0	0	0	0	0	1	एस०सी०	(21)	
								1	अनारक्षित	(24)	
								1	एस०सी०	(99)	
								1	ई०डब्ल्यू०एस०	(100)	
10	ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेंसिपरेटरी मेडिसिन	0	0	0	1	अनारक्षित	(54)	1	अनारक्षित	(88)	
11	न्यूरो-एनेस्थीसिया,आई.सी.यू. (पीएमएसएसवाई)	1	एस०सी०	(41)	1	ओ०बी०सी०	(43)	1	अनारक्षित	(66)	
12	न्यूरो-रेडियोलॉजी (पीएमएसएसवाई)	1	अनारक्षित	(42)	1	अनारक्षित	(44)	1	ओ०बी०सी०	(67)	
13	न्यूरो-अपथलमोलॉजी (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	एस०सी०	(45)	0	0	0	
14	न्यूरो-पैथालॉजी (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	0	0	0	1	अनारक्षित	(68)	
15	न्यूरोलॉजी	1	अनारक्षित	(24)	1	ओ०बी०सी०	(17)	0	0	0	
					1	ओ०बी०सी०	(33)				
16	न्यूरोसर्जरी	1	अनारक्षित	(26)	0	0	0	0	0	0	
17	नेफ्रोलॉजी	1	ओ०बी०सी०	(27)	0	0	0	0	0	0	
18	नेफ्रोलॉजी, (पीएमएसएसवाई)	1	अनारक्षित	(44)	1	अनारक्षित	(46)	1	एस०सी०	(69)	
19	पीडियाट्रिक्स	0	0	0	0	0	0	1	एस०सी०	(30)	
								1	ई०डब्ल्यू०एस०	(70)	
								1	ओ०बी०सी०	(71)	
20	पेन-मेडिसिन (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	एस०टी०	(47)	1	एस०सी०	(89)	
21	पैथालॉजी	0	0	0	0	0	0	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(90)	
								1	ओ०बी०सी०	(91)	
22	फार्माकालॉजी	1	एस०सी०	(49)	1	एस०सी०	(25)	1	अनारक्षित	(32)	
					1	अनारक्षित	(34)	1	एस०सी०	(93)	
								1	एस०सी०	(73)	
23	फिजिकल एण्ड मेडिकल रिहैबिलिटेशन (केएमएसएसवाई)	0	0	0	0	0	0	1	अनारक्षित	(46)	
24	फिजियोलॉजी	0	0	0	0	0	0	1	अनारक्षित	(94)	
								1	ओ०बी०सी०	(95)	
								1	अनारक्षित	(96)	
25	फोरेन्सिक मेडिसिन	1	अनारक्षित	(62)	0	0	0	1	एस०सी०	(35)	
26	बायोकेमिस्ट्री	1	ओ०बी०सी०	(61)	0	0	0	1	एस०टी०	(97)	
27	माइक्रोबायोलॉजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	यूरोलॉजी	1	अनारक्षित	(48)	0	0	0	0	0	0	
29	मेडिकल गैस्ट्रोइन्टोलॉजी(पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(50)	1	अनारक्षित	(74)	
30	रेडियोलॉजी	1	ओ०बी०सी०	(37)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(30)	1	अनारक्षित	(36)	
								1	ओ०बी०सी०	(37)	
								1	अनारक्षित	(38)	
								1	अनारक्षित	(56)	
								1	अनारक्षित	(82)	
31	साइकियेट्री	0	0	0	0	0	0	54			
		15				17					

उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण देय होगा संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत हैं:-

1. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन ₹0-1,35,000/-, राह आचार्यों का नियत वेतन ₹0-1,20,000/ तथा सहायक आचार्यों को नियत वेतन ₹0-90,000/- प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदनकर्ता को Medical Council of India, Minimum Qualification For Teachers in Medical Institutions Regulations, 2022 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
2. शासनादेश संख्या- 2282/71-1-2013-जी-11/2011 दिनांक 23-09-2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।
3. शासनादेश सं-562/71-1-2020-जी-03/2000 दिनांक 10 जून, 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, राह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 69 वर्ष होगी।
4. चयन से सम्बन्धित कालेज से उत्तीर्ण अभ्यर्थी तथा नये स्नातकोत्तर संपादि प्राप्त अभ्यर्थी को पूर्ववर्ती अभ्यर्थी पर यथीयता प्रदान की जायेगी।
5. चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उ0 प्र0 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की जारी सेवा नियमावली (पंचम संशोधन)-2018 एवं समय-समय पर पूर्व में निर्गत सेवा नियमावली में नियत व्यवस्था के अनुसार होगी।
6. ओपीओडी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
7. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
8. कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आये रोगियों को प्राइवेट में देखने के लिए बध्य नहीं करेगा।
9. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
10. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/मत्ते एवं सेवागत लाभ अनुभूत नहीं होंगे।
11. संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी मर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर उल्लेख समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
12. ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के परचात लोक सेवा से चयनित अभ्यर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर कार्यकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
13. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
14. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे उक्त कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होंगे।
15. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमतीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
16. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय 01 माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
17. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्तें ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुबन्ध या करार में इतने लाभ उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं अपने कार्यकाल के अन्त पर अपने विनियमतीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करने और न ही उन्हें निर्धारित निवृत्त वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुभूत होगी।
18. अभ्यर्थियों से साक्षात्कार के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है, यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी।
19. उ0प्र0शासन, कार्मिक अनुभाग-2, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II दिनांक 18-02-2019 के अन्तर्गत ई0अनु0ए0ए0 (अधिकृत रूप से उभयोन वर्ग) के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु कुल वार्षिक आय ₹0 8.00 लाख से कम होगी तथा परिवार की आय और परिसम्पत्ति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से जिनमें प्रकृति द्वारा जारी/प्रमाणित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण नेट पर देखा जा सकता है।
20. सुपर स्पेशियलिटी के पदों की शैक्षिक अर्हता नवीन एन0एम0सी0 गाइड लाइन के अनुसार अनुभूत होगी।
21. सुपर स्पेशियलिटी के पदों का समायोजन होने की दशा में पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, कानपुर

सं0- 309 /सददिनांक

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापि को वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
- 2- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0।
- 3- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ।
- 4- नोडल अधिकारी वेब साइट, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापि को वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, कानपुर